बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाषः 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेलः secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1734 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 09-05-2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वाहन कोषांग के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्तमान लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये छूट के आलोक में विभिन्न राज्यों से ट्रेनों तथा बसों से प्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग बिहार आ रहे हैं, जिसके आलोक में उन्हें उनके जिले तथा प्रखण्ड क्वॉरंटीन कैम्प में पहुँचाने के लिये जिलों में वाहन कोषांग का गठन किया गया है।

वाहन कोषांग में बड़ी संख्या में बसों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निजी बसों की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिये बसों को अधिग्रहित किया जा सकता है, जिसके लिये निम्न कार्रवाई की जा सकती है :–

i. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65 "power of requisition of resources, provisions, vehicles, etc., for rescue operations, etc." के अन्तर्गत निजी बसों को अधिगृहित किया जा सकता है। इसके enforcement के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 57 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

ii. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 66 "Payment of Compensation" के अन्तर्गत अधिग्रहित किये गये बसों का भुगतान लोक सभा आम चुनाव, 2019 में निर्धारित दर पर आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शीर्ष जनसंख्या के निष्क्रमण मद से किया जा सकता है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु परिवहन विभाग, बिहार के द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1303 दिनांक 13.02.2019 संलग्न है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/5

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1734 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 09-05-2020

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1734 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 09-05-2020

प्रतिलिपिः सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2495, दिनांक–08.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1734 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 9/5 09-05-2

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

9/5

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्र संख्या–01/निर्वा0–07–01/2014 पटना, दिनांक–

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–
सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के मुआवजे की राशि के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकसभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए देय दैनिक मुआवजे की राशि का दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्रम सं0	वाहनों का प्रकार	दैनिक मुआवजा दर(रुपये में)
1.	2.	3
1.	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	2850.00
2.	बस (40 से 49 सीट)	2600.00
3.	मिनी बस (23 से 39 सीट)	1950.00
4.	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/ टेम्पो /ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	1500.00
5.	छोटी कार (सामान्य)	800.00
6.	छोटी कार (वातानुकूलित)	900.00
7.	ट्रेकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन	900.00
8.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	1000.00
9.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	1200.00
10.	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित)	1600.00
	इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	1700.00
11.	विक्रम/एसमैजिक/मिनीडोर/ ओमनी /फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	750.00
12.	ऑटो रिक्शा	500.00
13.	मोटर साईकिल	250.00

14.	भारी मालवाहक (क) सकलयान भार–12000–16200 कि0ग्रा0 (छः चक्का यान)	1950.00
	(ख) सकलयान भार–16201–25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर)	2470.00
	(ग) सकलयान भार–25001 कि0ग्रा0 एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक)	2600.00
15.	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501–11999 कि0ग्रा0)	1300.00
16.	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 तक	715.00
	(ख) सकलयान भार–3001–7500 कि0ग्रा0 डिलीवरी भान/समकक्षीय	1100.00
17.	ट्रैक्टर–ट्रेलर	800.00
18.	ई–रिक्शा /e-Cart (Without fuel)	600.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।
(ii) वाहनों को तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या– 1303 पटना, दिनांक– 13/2/19

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/19
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।